

वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन वधियक, 2021

प्रलिम्स के लिये:

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, CITES, UNEP, IUCN

मेन्स के लिये:

वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन वधियक, 2021

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वजिज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन पर संसदीय स्थायी समिति ने प्रस्तावित वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन वधियक, 2021 पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

- स्थायी समिति ने पाया है कि कुछ प्रजातियों, जिन्हें पर्यावरण मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित किया गया है, को वन्यजीवों और पौधों की वभिन्न अनुसूचियों से बाहर रखा गया है तथा इन प्रजातियों को शामिल करने हेतु अनुसूचियों की संशोधित सूची की सफ़ारिश की गई है।

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972

- **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972** जंगली जानवरों और पौधों की वभिन्न प्रजातियों के संरक्षण, उनके आवासों के प्रबंधन एवं वनियमन तथा जंगली जानवरों, पौधों व उनसे बने उत्पादों के व्यापार पर नियंत्रण के लिये एक कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।
- अधिनियम में पौधों और जानवरों को भी सूचीबद्ध किया गया है, जिन्हें सरकार द्वारा वभिन्न प्रकार की सुरक्षा प्रदान कर नगिरानी की जाती है।
- इस अधिनियम में कई बार संशोधन किया गया है, अंतिम संशोधन 2006 में किया गया था।

प्रमुख बद्दु:

- **CITES के प्रावधान:** यह वधियक **वन्यजीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES)** के प्रावधानों को लागू करने का प्रयास करता है।
 - **प्रबंधन प्राधिकरण**, जो वशिष्ट प्रजातियों के व्यापार हेतु आयात या निर्यात का परमिट प्रदान करता है।
 - अनुसूचित नमूने के व्यापार में संलग्न प्रत्येक व्यक्तिको लेन-देन का वविरण या रिपोर्ट प्रबंधन प्राधिकरण को सौपना होगा।
 - CITES के अनुसार, प्रबंधन प्राधिकरण नमूने के लिये पहचान चहिन का प्रयोग कर सकता है।
 - यह बलि कसिी भी व्यक्तिको नमूने के पहचान चहिन को संशोधित करने या हटाने से प्रतर्बिधति करता है।
 - इसके अतरिकित अनुसूचित जीवति पशुओं के नमूने रखने वाले प्रत्येक व्यक्तिको प्रबंधन प्राधिकरण से पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।
 - **वैज्ञानिक प्राधिकरण**, व्यापार कयि जा रहे जानवरों के अस्तित्व पर पड़ने वाले प्रभाव से जुड़े पहलुओं पर अपनी सलाह देता है।
- **अनुसूचियों की प्रासंगिकता:** वर्तमान अधिनियम में वशिष रूप से संरक्षति पौधों (एक), वशिष रूप से संरक्षति जानवरों (चार) और कृमिप्रजातियों (एक) के लिये कुल छह अनुसूचियाँ हैं।
 - इसमें वे प्रजातियाँ सूचीबद्ध हैं जो CITES द्वारा सूचीबद्ध वन्यजीवों एवं पौधों में सबसे अधकि संकटापन्न स्थिति में हैं।
 - अनुसूची II में ऐसी प्रजातियाँ शामिल हैं जनिके नकिट भवषिय में लुप्त होने का खतरा नहीं है लेकनि ऐसी आशंका है कयिदइ प्रजातियों के व्यापार को सख्ती से नियंत्रति नहीं कयि गया तो ये लुप्तप्राय की श्रेणी में आ सकती हैं।
 - अनुसूची III उन प्रजातियों की सूची है जनिहें कसिी पक्षकार के अनुरोध पर शामिल कयि जाता है, जनिका व्यापार पक्षकार द्वारा पहले से ही वनियमति कयि जा रहा है तथा शामिल की गई प्रजातियों के अधारणीय एवं अत्यधकि दोहन को रोकने के लिये दूसरे देशों के सहयोग की आवश्यकता है।
 - यह कृमि(वर्मनि) प्रजातियों की अनुसूची को नषिकासति करता है। कृमिप्रजातिछोटे जानवरों को संदर्भति करती है जो बीमारियों में वृद्धि

के साथ ही भोजन को नष्ट करती हैं।

◦ यह CITES के अंतर्गत परशिषिटों में जंतु नमूनों की नवीन अनुसूची को शामिल करता है।

- **आक्रामक वदेशी प्रजातियाँ:** यह बलि केंद्र सरकार को आक्रामक वदेशी प्रजातियों के आयात, व्यापार, कब्जे या प्रसार को वनियमिति या प्रतर्बिधति करने का अधिकार देता है।
 - आक्रामक वदेशी प्रजातियाँ उन पौधों या जानवरों की प्रजातियों को संदर्भति करती हैं जो भारतीय मूल की नहीं हैं और जो वन्यजीव या इनके आवास पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं।
 - केंद्र सरकार किसी अधिकारी को आक्रामक प्रजातियों को ज़ब्त करने और उनका नपिटान करने के लिये अधिकृत कर सकती है।
- **अभयारण्यों का नयित्रण:** अधनियमि मुख्य वन्यजीव वार्डन को एक राज्य में सभी अभयारण्यों को नयित्रति, प्रबंधति करने और बनाए रखने का काम सौंपता है।
 - **मुख्य वन्यजीव वार्डन** की नयिकृता राज्य सरकार करती है।
 - बलि नरिदषिट करता है कि मुख्य वार्डन द्वारा की जाने वाली कार्रवाई अभयारण्य के लिये प्रबंधन योजनाओं के अनुसार होनी चाहिये।
 - वशिष क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले अभयारण्यों के लिये संबधति ग्राम सभा के साथ उचति परामर्श के बाद प्रबंधन योजना तैयार की जानी चाहिये।
 - वशिष क्षेत्रों में अनुसूचति क्षेत्र या वे क्षेत्र शामिल हैं जहाँ **अनुसूचति जनजात और अन्य पारंपरिक वन नवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधनियमि, 2006** लागू है।
 - अनुसूचति क्षेत्र आर्थिक रूप से पछिड़े क्षेत्र हैं जहां मुख्य रूप से आदवासी आबादी रहती है, जिसे **संवधान की पाँचवी अनुसूची** के तहत अधसूचति कयिा गया है।
- **संरक्षण रज़िर्व:** अधनियमि के तहत राज्य सरकारें वनस्पतियों और जीवों तथा उनके आवास की रक्षा के लिये राष्ट्रीय उद्यानों व अभयारण्यों के आस-पास के क्षेत्रों को संरक्षण रज़िर्व के रूप में घोषति कर सकती हैं।:
- बलि केंद्र सरकार को भी एक संरक्षण रज़िर्व को अधसूचति करने का अधिकार देता है।
- **बंदी जानवरों का समर्पण:** बलि किसी भी व्यक्ता को स्वेच्छा से किसी भी बंदी जानवर या पशु उत्पाद को **मुख्य वन्यजीव वार्डन** को सौंपने का प्रावधान करता है।
 - ऐसी वस्तुओं को अभ्यर्पति करने वाले व्यक्ता को कोई मुआवज़ा नहीं दयिा जाएगा।
 - अभ्यर्पति वस्तुएँ राज्य सरकार की संपत्ति होंगी।
- **दंड:** अधनियमि, प्रावधानों का उल्लंघन करने पर कारावास की सज़ा तथा जुर्माने का प्रावधान करता है। वधियक दंड के प्रावधानों में भी वृद्धि करता है।

उल्लंघन के प्रकार	अधनियमि, 1972	वधियक, 2021
सामान्य उल्लंघन	25,000 रुपए तक	1,00,000 रुपए तक
वशिष रूप से संरक्षति जानवर	कम-से-कम 10,000 रुपए	कम-से-कम 25,000 रुपए

स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/wild-life-amendment-bill-2021>